

फर्द अहकाम

भू धार्मिक जलपरस बनाम राजस्थान सरकार

27/21

क्रमांक	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.04.2025	<p>वकील धार्मी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सूमा गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम मनोरियावाला, पटवार हल्का लाखना, भूअभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 599 रकबा 0.3800 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक.भूअ./25/2643 दिनांक 04.04.2025 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक.ज0वि0प्रा0/उपा0/जोन-14/ 2025/305 दिनांक 13.02.2025 की पालना में दिनांक 09.04.2025 को उपरिथत खातेदारो के समक्ष मुस्तकील मुकाम खसरा नम्बर 550, 596 उ0प0 रख 596, 595, 551 द.प. चौकडे से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 599 की सीमांकन की जानकारी दी व सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दरस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.04.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नहीं हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम मनोरियावाला, पटवार हल्का लाखना, भूअभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 599 रकबा 0.3800 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 09.04.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फँसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)